



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ ज्येष्ठ 16, 1936

No. 302]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/JYAISTHA 16, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

**सा.का.नि. 386 (अ).**— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 73 और 76 के साथ पठित धारा 469 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 5 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“परंतु यह कि कंपनियां, जमा बीमा संविदा के बगैर 31 मार्च, 2015 तक जमा राशि स्वीकार कर सकेंगी।”

[फा.सं.1/8/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :** - मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 256(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th June, 2014

**G.S.R. 386(E).**— In exercise of the powers conferred by Sections 73 and 76 read with sub-section (1) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2014.  
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, in rule 5, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the companies may accept the deposits without deposit insurance contract till the 31st March, 2015.”

[F. No 1/8/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

**Footnote:** - The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide GSR 256(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014.